आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष (राज्य पोषित)

उत्तराखण्ड राज्य में समेकित बाल विकास सेवाऐं (ICDS) के अन्तर्गत मानदेय सेवा में कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त आवश्यक वित्तीय सहयोग/एक मुश्त धनराशि प्रदान करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कर्मी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ करते हुये आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष का सृजन किया गया है।

योजना का उद्देश्य–

- महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
- महिला विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना करना।
- महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने हेतु आधार प्रदान करना।